राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या 6017/2017

ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इसका पंजीकृत कार्यालय ए-25/27, आसफ अली रोड, नई दिल्ली में है और क्षेत्रीय कार्यालय आनंद भवन, संसार चंद्र रोड, जयपुर में अपने क्षेत्रीय प्रबंधक के माध्यम से है।

----अपीलार्थी

बनाम

1. मंहबर देवी पत्नी स्वर्गीय श्री सीता राम, निवासी ग्राम नांगल पुरोहित, तहसील आमेर, जिला जयपुर राजस्थान।
2. विमला पुत्री स्वर्गीय श्री सीता राम, निवासी ग्राम नांगल पुरोहित, तहसील आमेर, जिला जयपुर राजस्थान।
3. सीमा पुत्री स्वर्गीय श्री सीता राम, निवासी ग्राम नांगल पुरोहित, तहसील आमेर, जिला जयपुर राजस्थान।
4. सुभाष पुत्र स्वर्गीय श्री सीता राम, प्राकृतिक संरक्षक मां प्रत्यर्थी संख्या 1, निवासी ग्राम नांगल पुरोहित, तहसील के माध्यम से नाबालिग है, आमेर, जिला जयपुर राजस्थान।
5. अर्जुन लाल पुत्र रुदालाल, निवासी 103, ग्राम मोड़ी, वाया- जाहोता, तहसील आमेर, जिला. जयपुर राजस्थान ट्रक संख्या का मालिक।

----प्रत्यर्थीगण

अपीलार्थी (गण) की ओर से : श्री प्रताप सिंह आर्य, वीसी के माध्यम से।

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से : श्री गोविंद खंडेलवाल, वीसी के माध्यम से।

माननीय न्यायमूर्ति सुदेश बंसल

<u>निर्णय</u>

<u>03/02/2022</u>

<u>रिपोर्टेबल</u>

1. बीमा कंपनी द्वारा कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 की धारा 30 के तहत यह विविध अपील दायर की गई है, जिसमें आयुक्त न्यायालय, कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 जयपुर जिला-द्वितीय, जयपुर द्वारा पारित मुआवजा पंचाट दिनांक 12.09.2017 को चुनौती दी गई है जिसमे दावेदारों को 3,44,855/- रुपये प्रतिवर्ष 12% ब्याज के साथ और साथ ही चिकित्सा व्यय का भी भुगतान करने का आदेश दिया गया।

2. गुणागुण के आधार पर अपील पर विचार करने से पहले, कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 (संक्षेप में, "1923 का अधिनियम") की धारा 30 के तहत अपील में उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप के दायरे पर ध्यान देना आवश्यक है। यह अब एकीकृत नहीं है कि आयुक्त के आदेश के विरूद्ध उच्च न्यायालय में ऐसी अपील, 1923 के अधिनियम की धारा 30 के खंड (क) से (ङ) में एक अतिरिक्त शर्त के साथ निर्धारित विशिष्ट आदेशों के विरूद्ध ही हो सकती है। धारा के प्रावधान-I में निहित है कि अपील में कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल होने चाहिए। कानून की स्थिति अच्छी तरह से तय है कि आयुक्त के आदेश के विरूद्ध 1923 के अधिनियम की धारा 30 के तहत उच्च न्यायालय में प्रदान की गई अपील नागरिक संहिता की धारा 96 के तहत दायर की गई पहली अपील के समान नियमित पहली अपील की तरह नहीं है। प्रक्रिया, सी.पी.सी. 1908 की धारा 96 के तहत नियमित सिविल प्रथम अपील को तथ्यों और कानून दोनों पर सुना जा सकता है, जबकि 1923 के अधिनियम की धारा 30 के तहत अपील पर निर्णय लेने के लिए अपीलीय न्यायलय का दायरा केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों की जांच करने तक ही सीमित है। अतः, यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय को पहले यह पता लगाना होगा कि क्या वर्तमान अपील में कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है या नहीं? यदि कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, तो अपील को गुणागुण के आधार पर अंतिम सुनवाई के लिए स्वीकार किया जा सकता है, अन्यथा इसे इस कारण से अपास्त कर दिया जाएगा कि इसमें कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल नहीं है।

3. अब अपील पर आते हैं, बीमा कंपनी ने इस न्यायालय द्वारा विचार के लिए कानून के निम्नलिखित प्रश्नों का सुझाव दिया है:-

"(क) क्या कोई कामगार अपनी ड्यूटी के घंटों के बाद अपने कार्यस्थल को छोड़कर अपने घर चला जाता है, तो क्या उसे अभी भी

रोजगार के दौरान माना जाएगा?

(ख) क्या बीमा कंपनी से झूठा दावा प्राप्त करने के इरादे से मनगढ़ंत तथ्यों पर आधारित दावा भारी कीमत के साथ अपास्त किया जा सकता है, क्योंकि न्याय और धोखाधड़ी को साथ-साथ चलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है?

(ग) क्या ईसीसी दावे पर विचार कर सकता है जब दावा दायर करने के समय न्यायालय शुल्क अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में दावेदारों द्वारा कोई न्यायालय शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है?

4. यह जांचने के लिए कि क्या उपरोक्त प्रश्न अनिवार्य रूप से तथ्य के प्रश्न हैं या उन्हें कानून का पर्याप्त प्रश्न माना जा सकता है, मामले के तथ्यों और आयुक्त द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों पर संक्षेप में विचार करना आवश्यक है।

5. यह एक ऐसा मामला है जहां दावेदारों ने अपने परिवार के कमाने वाले श्री सीता राम (यहां मृतक) की मृत्यु के कारण मुआवजे के लिए 1923 के अधिनियम की धारा 22 के साथ पठित धारा 3 के तहत दावा याचिका दायर की थी। यह आरोप लगाया गया था कि श्री सीता राम ट्रक संख्या RJ-14-P-055 की ड्रिलिंग मशीन पर 'हेल्पर' के रूप में कार्यरत थे, जिसका गैर-दावेदार संख्या 1-अर्जुन लाल मालिक है और मृतक अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा था। उसका रोजगार. यह बताया गया कि 27.03.2011 को मृतक उक्त ट्रक पर ड्रिलिंग कार्य कर रहा था और अपने रोजगार के दौरान वह एक दुर्घटना का शिकार हो गया और उसे सिर की चोट सहित गंभीर चोटें आईं। बाद में दुर्घटना में लगी चोटों के कारण 23.04.2011 को उनकी मृत्यु हो गई और रोजगार के दौरान. यह आरोप लगाया गया था कि गैर-दावेदार संख्या 1 का ट्रक बीमा कंपनी (गैर-दावेदार संख्या 2) के साथ बीमाकृत है, अतः यह प्रार्थना की गई कि गैर-दावेदार संख्या 1 और 2 (मालिक/बीमाधारक और बीमा कंपनी) दोनों 1923 के अधिनियम के तहत दावेदारों को मुआवजा देने के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी हैं।

6. गैर-दावेदार संख्या 1 बीमाधारक ने दावा याचिका का उत्तर दायर किया है और ट्रक संख्या RJ-14-P-055 पर ड्रिलिंग मशीन के अपने स्वामित्व को स्वीकार किया है और यह भी स्वीकार किया है कि मृतक श्री सीता राम को काम करने के लिए नियुक्त किया गया

था। उपरोक्त ड्रिलिंग मशीन ट्रक को दुर्घटना की तिथि पर मजदूरी के भुगतान पर जमा किया जाएगा और ट्रक का बीमा कंपनी से कराया जाएगा।

7. गैर-दावेदार संख्या 2-बीमा कंपनी ने अलग-अलग उत्तर दायर किया और अन्य बातों के साथ-साथ यह आरोप लगाते हुए दावा याचिका का विरोध किया कि, (i) 1923 के अधिनियम की धारा 10 के तहत आवश्यक कोई नोटिस बीमा कंपनी को नहीं दिया गया था, (ii) मृतक सीता राम और गैर-दावेदार संख्या 1 के बीच कर्मचारी और नियोक्ता के संबंध को अस्वीकार कर दिया गया था (iii) नियोक्ता द्वारा मृतक को भुगतान की जाने वाली मजदूरी से इनकार कर दिया गया था और (iv) ट्रक के बीमित मालिक और मृतक के बीच मिलीभगत होने पर आपत्ति की गई थी।

8. पक्षकारों की प्रतिद्वंद्वी दलील के अनुसार, आयुक्त ने मुद्दे तय किए, दोनों पक्षों ने आयुक्त के समक्ष संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत किए। आयुक्त ने अंतिम दलीलें सुनने के बाद दिनांक 12.09.2017 के निर्णय के तहत दावा याचिका की अनुमति दे दी है। मुद्दा संख्या 1 और 2 इस बात पर आधारित थे कि क्या मृतक को दुर्घटना की तारीख अर्थात 27.03.2011 को ट्रक पर हेल्पर के रूप में नियुक्त किया गया था और क्या मृतक गैर-दावेदार के रोजगार के तहत एक कर्मचारी के रूप में काम कर रहा था। आयुक्त ने दिनांक 12.09.2017 के निर्णय में, उपरोक्त मुद्दे संख्या 1 और 2 का निर्णय करते हुए निष्कर्ष दर्ज किया है कि मृतक सीता राम, दुर्घटना की तारीख अर्थात 27.03.2011 को ट्रक संख्या आरजे-14-ई- 0335 की ड्रिलिंग मशीन पर 'हेल्पर' के रूप में काम कर रहा था। न्यायाधिकरण ने यह निष्कर्ष भी दर्ज किया कि मृतक की मृत्यु दिनांक 27.03.2011 की दुर्घटना में और रोजगार के दौरान लगी चोटों के कारण हुई। इस प्रकार, न्यायाधिकरण ने स्पष्ट रूप से इस तथ्य का निष्कर्ष दर्ज किया है कि मृतक और गैर-दावेदार संख्या 1 के बीच कर्मचारी और नियोक्ता का संबंध दुर्घटना की तारीख पर मौजूद था और मृतक की मृत्यु दुर्घटना के दौरान लगी चोटों के कारण हुई है। उसके रोजगार का. मुद्दा संख्या 3 बीमा कंपनी द्वारा उठाए गए बचाव पर विचार करने के लिए तैयार किया गया था और मुद्दा संख्या 3 पर निर्णय लेते समय, न्यायाधिकरण ने एक स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज किया है कि जब मुद्दा संख्या 1 और 2 का निर्णय करते समय यह माना गया था कि मृतक की मृत्यु हो गई थी उनके रोजगार के दौरान, 1923 के अधिनियम की धारा 10(1)(क) के तहत नोटिस जारी न करने से मुआवजे का दावा करने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं

पड़ता है। ड्राइवर के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस न होने की आपत्ति को भी इस स्पष्ट निष्कर्ष के साथ अपास्त कर दिया गया कि यह 1923 के अधिनियम के तहत मुआवजे का दावा करने के दावेदारों के अधिकार को प्रभावित नहीं करता है। मुद्दा संख्या 4 मुआवजे के निर्धारण से संबंधित है, जिसमें आयुक्त ने मृतक की बोरिंग मशीन पर 'हेल्पर' के रूप में कार्य की प्रकृति तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसकी उम्र 35 वर्ष मानते हुए उसकी मासिक आय 3500/- रूपये मानते हुए निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुआवजा निर्धारित किया है। न्यायाधिकरण ने चिकित्सा व्यय का भुगतान करने का निर्देश जारी करने के साथ-साथ 12% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज भी दिया है।

9. अपीलार्थी बीमा कंपनी के अधिवक्ता के अनुसार, आयुक्त द्वारा पारित निर्णय और 12.09.2017 का निर्णय गलत और अवैध है, क्योंकि यह ऊपर प्रस्तावित कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जन्म देता है। प्रत्यर्थीगण-दावेदारों के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि सभी प्रश्न तथ्यों के प्रश्न से संबंधित हैं और इन्हें कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में नहीं माना जा सकता है।

10. दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुना गया और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।

11. जहां तक ऊपर उल्लिखित प्रश्न (क) का प्रश्न है, यह मृतक और गैर-दावेदार संख्या 1 अर्थात कर्मचारी और नियोक्ता के बीच संबंध के मुद्दे से संबंधित है। प्रश्न (ख) भी तथ्यात्मक मुद्दों के इर्द-गिर्द घूमता है और साक्ष्य की पुनः प्रमाणन की आवश्यकता है। कर्मचारी मुआवजा अधिनियम एक लाभकारी कानून है जिसका उद्देश्य उस श्रमिक की पीड़ा को कम करना है, जो चोटों के कारण विकलांगता का सामना करता है या ऐसे दुर्घटना में मरने वाले श्रमिक के विधिक उत्तराधिकारियों की पीड़ा को कम करता है। यह स्थापित कानून है कि जब तक आयुक्त द्वारा दर्ज तथ्य के निष्कर्षों को विकृत नहीं दिखाया जाता है, अपील में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी गलत निष्कर्ष या कानून की कोई त्रुटि, 1923 के अधिनियम की धारा 30 के तहत अपील पर विचार करने का आधार नहीं हो सकती है, जब तक कि ऐसे गलत निष्कर्ष कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न को जन्म न दें। जहां तक अंक संख्या 1 और 2 के निष्कर्षों का प्रश्न है, वे रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री पर आधारित हैं और ऐसे निष्कर्षों को किसी भी तरह से विकृत नहीं माना जा सकता है। **कृष्णा वीविंग मिल्स बनाम चंद्र भागा देवी ने**

MANU/RH/0167/1984 [समकक्ष उद्धरण: 1985(1) WLN 455] के मामले में, राजस्थान उच्च न्यायालय ने कर्मकार मुआवजा अधिनियम, 1973 की धारा 30 के तहत अपील पर निर्णय करते हुए कानून के प्रश्न के बीच एक अंतर निकाला है। यह माना गया कि सार्वजनिक महत्व के प्रश्न और ऐसे प्रश्न जिनकी कोई अंतिम व्याख्या उपलब्ध नहीं है, उन्हें कानून के सारगर्भित प्रश्न के रूप में जाना जाता है। यदि कानून का कोई प्रश्न अच्छी तरह से तय नहीं हुआ है और वह सार्वजनिक महत्व का है, तो इसे कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न माना जा सकता है। **MANU/RH/1287/2019** में प्रकाशित **खुमा बनाम श्याम लाल** के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए बाद के निर्णय में इस दृष्टिकोण का पालन किया गया है। आयुक्त के निष्कर्षों में विकृति के आधार पर, 1923 के अधिनियम की धारा 30 के तहत हस्तक्षेप की गुंजाइश पर **MANU/RH/0608/2015** में प्रकाशित **ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम गीता रानी रॉय** के मामले में गौहाटी के उच्च न्यायालय द्वारा भी विचार किया गया था।

12. इस प्रकार, तथ्यों और कानून के प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के बाद, प्रश्न संख्या क और ख कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न के दायरे में नहीं आते हैं। इस प्रकार वर्तमान अपील कानून के इन प्रश्नों पर स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

13. जहां तक आयुक्त के समक्ष दावेदार द्वारा अदालती फीस का भुगतान न करने के संबंध में प्रश्न संख्या का प्रश्न है, आयुक्त के समक्ष दावेदार द्वारा अदालती फीस का भुगतान राजस्थान श्रमिक मुआवजा (लागत और शुल्क) नियम, 1959 (संक्षेप में '1959 के नियम') के प्रावधानों द्वारा शासित होता है। 1959 के नियम मुआवजे के लिए आवेदन पर एक रुपये की सीमा तक शुल्क की राशि पर विचार करते हैं, जहां यह 500/- रुपये से अधिक नहीं है, साथ ही 500/- या उसके अंश में से प्रत्येक में एक रुपये, जहां मुआवजे का दावा किया गया है। एकमुश्त राशि का स्वरूप. ऐसी किसी भी या सभी फीस को माफ करना आयुक्त की शक्ति और अधिकार क्षेत्र में है। ऐसा प्रतीत होता है कि दावेदार द्वारा अदालती शुल्क का भुगतान न करने की ऐसी कोई आपत्ति आयुक्त के समक्ष नहीं उठाई गई थी और इस संबंध में कोई मुद्दा तैयार नहीं किया गया था।

14. इस पृष्ठभूमि में, कानून के इस प्रश्न को भी कानून का सारगर्भित प्रश्न नहीं माना जा सकता है।

15. माननीय उच्चतम न्यायालय ने, **[2017(1) एससीसी 45]** में प्रकाशित किए गए **गोला राजन्ना बनाम प्रभागीय प्रबंधक** के मामले में, 1923 के अधिनियम धारा 30 के तहत आयुक्त कर्मकार मुआवजे के निष्कर्षों में उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की गुंजाइश पर विचार किया। और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

> *"अधिनियम की योजना के तहत, कर्मकार मुआवजा आयुक्त तथ्यों पर अंतिम प्राधिकारी है। संसद ने कल्याणकारी कानून होने के कारण अपील के दायरे को केवल कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों तक ही सीमित रखना उचित समझा है। दुर्भाग्य से, उच्च न्यायालय ने सीमित क्षेत्राधिकार के इस महत्वपूर्ण प्रश्न को नजरअंदाज कर दिया है और साक्ष्यों की फिर से सराहना करने का साहस किया है और विकलांगता के प्रतिशत पर अपने स्वयं के निष्कर्षों को दर्ज किया है, जिसके लिए भी कोई आधार नहीं है। उच्च न्यायालय द्वारा की गई पूरी प्रक्रिया अधिनियम की धारा 30 के तहत उच्च न्यायालय की क्षमता के अंतर्गत नहीं है।"*

16. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **[2019 (11) एससीसी 514]** में प्रकाशित **उत्तर पूर्व कर्नाटक सड़क परिवहन निगम बनाम सुजाता** के मामले में फिर से स्पष्ट और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यह प्रश्न कि क्या कर्मचारी किसी दुर्घटना का शिकार हुआ था, क्या दुर्घटना रोजगार के दौरान हुई, क्या यह रोजगार के कारण उत्पन्न हुई, दुर्घटना कैसे और किस प्रकार हुई, दुर्घटना कारित करने में किसकी लापरवाही थी, क्या कर्मचारी और नियोक्ता के बीच कोई संबंध था, उम्र क्या थी और कर्मचारी का मासिक वेतन, मृत कर्मचारी के आश्रितों की संख्या, दुर्घटना में लगी चोटों के कारण कर्मचारी की विकलांगता की सीमा, क्या घटना को कवर करने के लिए नियोक्ता द्वारा कोई बीमा कवरेज प्राप्त किया गया था, आदि। कुछ भौतिक मुद्दे जो दावा याचिका में आयुक्त के उचित निर्णय के लिए उत्पन्न होते हैं जब किसी कर्मचारी को उसके रोजगार के दौरान कोई शारीरिक चोट लगती है या उसकी मृत्यु हो जाती है और वह अधिनियम के तहत मुआवजे का दावा करने के लिए अपने नियोक्ता पर मुकदमा करता है। उपर्युक्त प्रश्न मूलतः तथ्यात्मक प्रश्न हैं, और अतः, उन्हें साक्ष्य की सहायता से सिद्ध करना आवश्यक है। एक बार जब वे किसी भी तरह से सिद्ध हो जाते हैं, तो उस पर दर्ज निष्कर्षों को तथ्य के निष्कर्ष के रूप में

माना जाता है।

17. आयुक्त ने कर्मचारी को चिकित्सा व्यय/बिलों की प्रतिपूर्ति के लिए भी आदेश पारित किया है, जिसके लिए कर्मचारी धारा 4 की धारा 2क के आधार पर पात्र है। 1923 के अधिनियम की धारा 4 क(3) की अनुमेय सीमा के भीतर मुआवजे की राशि पर 12% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज भी दिया जाएगा।

18. बीमा कंपनी के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए और सुझाए गए प्रश्नों में से कोई भी कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न के दायरे में नहीं आता है। ये सभी प्रश्न मूलतः तथ्यों के प्रश्न हैं और दलीलों और साक्ष्यों की पुनः प्रमाणन की मांग करते हैं। जहां तक तथ्यात्मक मुद्दों का प्रश्न है, यह कानून का स्पष्ट प्रस्ताव है कि रिकॉर्ड पर दलीलों और साक्ष्यों की सराहना करने और उसके बाद निष्कर्ष देने का अधिकार क्षेत्र आयुक्त के पास है। आयुक्त द्वारा दर्ज किए गए तथ्यों के निष्कर्ष को अंतिम माना जाता है क्योंकि आयुक्त तथ्यों पर निष्कर्षों को रिकॉर्ड करने का अंतिम प्राधिकारी है। उच्च न्यायालय, 1923 के अधिनियम की धारा 30 के तहत अपीलीय अदालत के रूप में अपनी शक्तियों और अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, आयुक्त के तथ्यात्मक निष्कर्षों को अपने दृष्टिकोण से प्रतिस्थापित करने के लिए साक्ष्य और दलीलों की दोबारा सराहना नहीं कर सकता है और न ही करना चाहिए। जब तक आयुक्त द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं उठाते, तब तक इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

19. यहां ऊपर की गई चर्चा का निष्कर्ष यह है कि वर्तमान अपील कानून के किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न को शामिल करने की आवश्यकता को पूरा नहीं करती है, जो अपील पर विचार करने और स्वीकार करने के लिए 1923 के अधिनियम की धारा 30 के तहत अनिवार्य आवश्यकता है। तदनुसार, अपील स्वीकार करने योग्य नहीं है और इसे अपास्त किया जाता है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं है।

20. दावेदार दिनांक 12.09.2017 के आक्षेपित निर्णय के तहत आयुक्त द्वारा दिए गए मुआवजे को पाने के पात्र हैं। यदि मुआवजे की कोई राशि आयुक्त के पास जमा है तो उसे दावेदारों को वितरित कर दिया जाएगा। यदि संपूर्ण राशि जमा नहीं की गई है तो अपीलार्थी को आयुक्त के समक्ष अवैतनिक राशि ब्याज सहित जमा करानी होगी। आयुक्त दावेदारों को राशि वापस लेने के लिए नोटिस जारी करेगा।

21. आयुक्त का रिकार्ड तत्काल वापस किया जाये।

(सुदेश बंसल), न्यायमूर्ति

SAURABH/56

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल**,** द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।